त्यौहार अग्रिम मंजूरी हेतु आवेदन

1.	आवेदक का नाम								
2.	पदनाम								
3.	संबंधित अनुभाग/कार्यालय का								
	नाम								
4.	स्थाई/स्थाईवत/अस्थाई संबंधी								
	विवरण								
5.	वर्तमान वेतन								
6.	क्या आवेदक ने चालू कैलेण्डर वर्ष								
	के दौरान कोई त्यौहार अग्रिम								
	लिया है								
7.	पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान								
	लिया गया त्यौहार अग्रिम पूरी								
	तरह से वसूल किया गया है या								
	नहीं								
- मैं	प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर बता	र गये	तथ्य	मेरी	पूरी	जानकारी	एवं	विश्वास	के

-	मैं	प्रमाणित	करता	हूँ	कि	ऊपर	बताए	गये	तथ्य	मेरी	पूरी	जानकार्र	री एवं	विश्व	ास	के
अनुसा	₹ ₹	ाही है।	₹		/	(枣.						. हजार	मात्र)	का	अगि	ोम
		रूपये	की			_ किस्	तों में व	ग्रसूल	की ज	ाय ।						

आवेदक के हस्ताक्षर

त्योहार अग्रिम बिल के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्र Certificate for Festival Advances to be attached with the bill

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में जिन सरकारी कर्मचारियों के लिए त्यैहार अग्रिम दावा किया गया है, उहें सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम-55 (भाग-II) की अपेक्षा अनुसार चालू कैलेण्डर वर्ष में त्योहार अग्रिम प्रदान नहीं किया गया है ।

Certified that no festival advance has been granted to the Govt. Servants in respect of whom the claim is now preferred during the current calendar year, as required under Rule 55 (Part-II) of the General Financial Rules.

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में जिन सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहार अग्रिम दावा किया गया है, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम-56 (भाग-II) की अपेक्षा के अनुसार पहले मंजूर किये गये त्योहार अग्रिम का कोई भी अंश उन पर बकाया नहीं है ।

Certified that no part of the festival advances granted to the Govt. Servants in respect of whom the claim as now preferred is outstanding as required under rule-56 (Part-II) of the General Financial Rules.

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में जिन सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहार अग्निम दावा किया गया है, सामाय वित्तीय ियमावली के नियम-57 (भाग-II) की अपेक्षा के अनुसार अन्यून छह महीने तक वे सेवा में बने रहने की संभावना है।

Certified that the Govt. Servant in respect of whom the claim is preferred are likely to continue in service for a period of at least six months as required under Rule-240 (Part-II) of the General Financial Rules.